

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड, सीकर-332001

ई-मेल ult.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2024/00448

दिनांक:- 12.07.2024

कार्यालय आदेश

न्यास द्वारा निजी खातेदारी में अनुमोदित आवासीय योजना 'अन्ना नगर फेज-3 आवासीय योजना' राजस्व ग्राम चारण का बास के खसरा नं. 2242/284 रकबा 1.1817 है, राजस्व ग्राम चैनपुरा के खसरा नं. 1345/1293 रकबा 0.0160 है. व खसरा नं. 1347/1294 रकबा 0.2050 है. कुल रकबा 14027.00 वर्गमीटर में से मौके पर उपलब्धतानुसार 13661.00 वर्गमीटर में राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भू-खण्ड संख्या 3, 6, 7, 14, 15, 16 व 21 को अपेक्षित विकास कार्य पूर्ण करने, चार्टर्ड इंजिनियर की तकनीकी रिपोर्ट उपरान्त न्यास स्तरीय कमेटी की अभिशपा तथा सीवरेज एवं ड्रेनेज की राशि जमा कराये जाने पर एतद्वारा उपरोक्त रहन रखे गये भू-खण्डों को रहनमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्त के अधधीन प्रदान की जाती है।

शर्त:-

- विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the alltees).
- बोरिंग/ ट्यूबवेल/ पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
- योजना में विद्युतिकरण का कार्य State Electricity Agency or National Building code के प्रावधानानुसार ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

सचिव
नगर विकास न्यास
सीकर

प्रतिलिपि:-

- संबंधित विकासकर्ता।
- उप नगर नियोजक/कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय हाजा।

सचिव
नगर विकास न्यास
सीकर

RajKaj Ref
8016752



Signature valid

Digitally signed by Jai Kaushik
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2024.07.12 11:32:56 IST
Reason: Approver